संख्या–सी0एम0–102पी / छः–पु–6–16–100(09)2014

प्रेषक,

मणि प्रसाद मिश्र
सचिव, गृह
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग–6 लखनऊ दिनांकः 20 दिसम्बर, 2016

विषयः– पुलिस विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों की विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान अदम्य साहस व विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करने के दौरान मृत्यु होने पर उनके माता–पिता को अनुग्रह धनराशि रू0 5:00 लाख की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या– सी0एम0–134पी / छः–पु–6–16–100(09)2014 दिनांक 10.09.2014 द्वारा पुलिस विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों की विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान अदम्य साहस व विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर अनुग्रह धनराशि रू0 20.00 लाख की अहेतुक सहायता उनके आश्रितों को उपलब्ध करायी जा रही है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहीद / मृतक के बृद्ध माता–पिता को दैनिक जीवनयापन में आ रही कठिनाई के निराकरण के उद्देश्य से पुलिस विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों की विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान अदम्य साहस व विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करने के दौरान मृत्यु होने पर रू0 20.00 लाख की दी जा रही अनुग्रह धनराशि के अतिरिक्त रू0 5.00 लाख की अहेतुक धनराशि शहीद / मृतक के आश्रित माता–पिता को स्वीकृत किये जाने का भी एतद्द्वारा निर्णय लिया गया है।

2– इस प्रकार के प्रकरणों में किसी परिस्थिति विशेष के दौरान अनुग्रह धनराशि हेतु निर्धारित दरों से अधिक अनुदान स्वीकृत करने का औचित्य पाये जाने की स्थिति में निर्धारित दरों से अधिक अनुदान स्वीकृत करने के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी अधिकृत होगें। साथ ही उपर्युक्त व्यवस्था में किसी परिवर्तन की आवश्यकता पाये जाने की दशा में यथोचित निर्णय हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी सक्षम स्तर होगें।

3– यह आदेश दिनांक 21.11.2016 से प्रभावी होगा।

4– उक्त शासनादेश संख्या– सी0एम0–134पी / छः–पु–6–16–100(9)2014 दिनांक 10.09.2014 इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा तथा शेष शर्ते यथावत् रहेगी।

भवदीय,

(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव।

संख्याः– सी0एम0–102(1)पी / छः–पु0–6–16, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
2– समस्त जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
3– वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
4– वित्त आय–व्ययक अनुभाग–2
5– वित्त व्यय–नियंत्रण अनुभाग–12
6– गृह(पुलिस) अनुभाग–1 / 2 / 7 / 10
7– गृह(पुलिस सेवायें) अनुभाग–1 / 2
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(के0एल0 वर्मा)
उप सचिव।